न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही (राज.)

बईजलास श्रीमती अल्पा चौधरी, आई.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 03 / 2025

अपीलार्थी

1. श्री जुआरिंग पुत्र श्री कसालिंगजी जाति पुरोहित निवासी किवरली तहसील देलदर जिला सिरोही।
2. श्री थानाराम पुत्र श्री जुआरिंगजी जाति पुरोति निवासी किवरली तहसील देलदर जिला सिरोही।

बनाम

रेस्पोडेन्ट

1. श्री रामाराम पुत्र श्री मोतीजी जाति गरासिया निवासी किवरली तहसील देलदर जिला सिरोही हाल सुरपगला तहसील आबूरोड जिला सिरोही।
2. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार देलदर जिला सिरोही।

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थिति :

1. श्री पोपटलाल दवे, अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से।
2. श्री चन्दनसिंह डाबी, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या एक की ओर से।

निर्णय दिनांक : 17.09.2025

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के तहत तहसीलदार देलदर द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 2673 दिनांक 12.03.2025 के विरूद्ध दिनांक 05.05.2025 को प्रस्तुत की, जिस पर अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अपीलांट अधिवक्ता के निवेदन पर रेस्पोडेन्ट को सम्मन जारी किया, जिस पर रेस्पोडेन्ट संख्या एक से चार की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्रसिंह आढ़ा ने जरिए वकालतनामा के उपस्थिति दी एवं रेस्पोडेन्ट संख्या छः की ओर से पेरोकार सरकार द्वारा उपस्थिति दी गई। अपील की सुनवाई के दौरान दिनांक 20.06.2025 को रेस्पोडेन्ट संख्या एक की ओर से अधिवक्ता श्री चन्दनसिंह डाबी एवं अधिवक्ता श्री राजेन्द्रपुरी द्वारा जरिए अलग–अलग वकालतनामा प्रस्तुत कर उपस्थिति दी गई, परन्तु दिनांक 04.07.2025 को अधिवक्ता श्री राजेन्द्रपुरी द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या एक श्री रामाराम की ओर से प्रस्तुत वकालतनामा को विड्रो किया गया। प्रकरण में दोनों पक्षों की विस्तृत बहस सुनी गई ।

अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री पोपटलाल दवे द्वारा दौराने बहस निवेदन किया गया कि रेस्पोडेन्ट संख्या एक को रेस्पोडेन्ट संख्या दो द्वारा मौजा किवरली के

जिला कलेक्टर, सिरोही

......पेज दो पर

Scanned with CamScanner

खसरा संख्या 949 में से रकबा 6.09 बीघा भूमि आवंटन का श्रीमान जिला कलक्टर महोदय एवं जीएलएमएसी कमेटी के आदेश क्रमांक/भू.अ./जीएलएमएसी/2025/663 दिनांक 21.02.2025 की पालना में रेस्पोडेन्ट संख्या दो तहसीलदार देलदर द्वारा आदेश क्रमांक/भू.अ./2025/212 दिनांक 07.03.2025 की पालना में नामान्तरकरण दिनांक 12.03.2025 को स्वीकृत किया गया है, जिसमें श्रीमान उपखण्ड अधिकारी आबूपर्वत के आदेश दिनांक 18.04.1974 के जरिए आवंटन किए जाने व उपरोक्त आवंटन के आधार पर नामान्तरकरण दर्ज करने के आदेश किए गए है। जबकि अपीलांट की जानकारी अनुसार उक्त रामाराम पुत्र मोती गरासीया नाम का कोई व्यक्ति सन् 1974 या उससे पूर्व किवरली में अथवा सुरपगला में नहीं था और उसके नाम का जो आंवटन होना बताया गया है। वह पूर्णतया गलत, अवैध व नियम विरुद्ध है, क्योंकि खसरा संख्या 949 की लगभग 6 बीघा भूमि पर अपीलांट व उनके परिवार का कब्जा काश्त राजस्थान राज्य में आबू क्षेत्र, बोम्बे स्टेट से राजस्थान राज्य में विलय होने के पूर्व से अर्थात करीब 80 वर्षों से अधिक समय से बिना किसी रोक टोक के चला आ रहा है और उक्त रामाराम नाम के व्यक्ति का ना तो कभी कब्जा काश्त उक्त भूमि पर रहा है ना ही उक्त नाम का व्यक्ति है। ना ही कोई व्यक्ति उक्त भूमि पर कभी आया है। यह कि मौजा गांव किवरली में अपीलांट की पुश्तैनी कृषि भूमि स्थित है, जिसमें अपीलांट संख्या एक की भूमि का नाम घरवाडा तथा अपीलांट संख्या दो के कुएं का नाम मुजीया वाडा के नाम से प्रख्यात है। उपरोक्त कुएं वाली पुश्तैनी भूमि के पास खसरा संख्या 949 की गैर मुमकिन मगरी किस्म की भूमि स्थित है, जिसमें से लगभग 6 बीघा भूमि पर अपीलांट व उनके पूर्वजों के व उनके कुटम्बी जनों का पुराना कब्जा काश्त करीब 80 वर्षों से निरन्तर यथावत चला आ रहा है। जिसके सम्बन्ध में अपीलांट व उनके परिवारजन को धारा 91 भू–राजस्व अधिनियम के तहत नोटिस भी जारी हो रखे है। यदि रेस्पोडेन्ट संख्या एक को 18.04.1974 को आवंटन हुआ होता तो अपीलांट को 91 भू–राजस्व अधिनियम के तहत नोटिस नहीं दिये जाते व ना ही अपीलांट का कब्जा यथावत रहता। सन् 1974 के पश्चात् दिनांक 01.02.2025 को रेस्पोडेन्ट संख्या एक के मार्फत प्रार्थना पत्र दिया जाता है, जिसे आधार बना कर जिला स्तरिय राजकीय भूमि नामान्तरणकरण परामर्श समिति सिरोही के द्वारा दिनांक 21.02.2025 को आदेश पारित कर दिनांक 12.03.2025 को गैर खातेदारी नामान्तरणकरण दर्ज किया गया है, जो अवैध व गैर कानूनी है। साथ ही आंवटन के समय रेस्पोडेन्ट संख्या एक नाबालिग था, उसकी उम्र 17 वर्ष ही होती है। यह कि उक्त खसरा संख्या 949 की भूमि हाईवे रोड से लगती हुई होने से 0.7587 हैक्टेयर भूमि क्रेशर हेतु मैसर्स अम्बिका क्रेसिंग कम्पनी को आवंटित होने से उक्त भूमि के दो टुकडे होकर नये खसरा नम्बर बने है, जिसमे से नये खसरा संख्या 1434/949 की भूमि अपीलांट के कब्जे काश्त की भूमि है। जिस पर अपीलांट का राजस्थान राज्य में आबू क्षेत्र, बोम्बे स्टेट से राजस्थान राज्य में विलय होने के पूर्व से करीब 80 वर्षों से लगातार कब्जा काश्त चला आ रहा है। यह कि आज से कुछ

.....पेज तीन पर

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

दिनों पूर्व अपीलांट को जानकारी हुई की खसरा संख्या 1434/949 की भूमि में से 1.6313 हैक्टेयर भूमि किसी रामाराम पुत्र मोती गरासीया को किवरली व सुरपगला का निवासी बता कर उसके नाम गैर खातेदारी नामन्तरणकरण संख्या 2673 दिनांक 13.03.2025 को स्वीकृत कर दर्ज किया गया है जो अवैध व विधि विरुद्ध दर्ज किया गया है। उक्त गैर खातेदारी नामान्तरणकरण जिस आधार पर दर्ज किया गया है वह आधार भूमि आवंटन सलाहकार समिति सिरोही के द्वारा उपखण्ड अधिकारी आबूपर्वत के दिनांक 18.04.1974 के आवंटन आदेश को आधार बता कर नामान्तरणकरण दर्ज किया गया है, जो कि भू–माफिया द्वारा ऐसे पुराने आवंटन आदेश का पता लगा कर रामाराम पुत्र मोती गरासीया नाम के व्यक्ति को फर्जी रुप से तैयार कर उपरोक्त आवंटन के आधार पर नामान्तरकरण की कार्यवाही की गई है, जिससे नामान्तरकरण निरस्त योग्य है। यह कि अपीलांट के कुएं घरवाडा व मुजियावाडा में आने जाने का कदीमी रास्ता भी उक्त खसरा संख्या 949 की भूमि में से ही है और जो यथावत आज रोज तक अपीलांट उपयोग उपभोग ले रहे है तथा खसरा सख्या 1434/949 की करीब 6 बीघा भूमि का उपयोग उपभोग भी अपीलांट द्वारा किया जा रहा है। यह कि अपीलांट की जानकारी मे उपरोक्त अपीलांट के कब्जे काश्त की भूमि को फर्जी व कुटरचित दस्तावेज तैयार कर रामाराम पुत्र मोती गरासीया नाम के व्यक्ति के जरिये उपरोक्त समस्त कार्यवाही की गई है। जिससे की गैर खातेदारी से खातेदारी दर्ज करवा कर उसे तुरन्त ही अपने किसी व्यक्ति के नाम से फर्जी रुप से विक्रय विलेख तैयार कर भूमि रुपान्तरण करवा कर लाखों करोडो रुपये की कमाई कर सके। जिससे उपरोक्त आवंटन बिना कब्जे के तथा आवंटन के पश्चात से आज रोज तक कभी कब्जा काश्त नहीं रहने से निरस्त योग्य है। यह कि कानूनन आवंटन के पश्चात कब्जा नहीं होने पर आवंटन श्रीमान न्यायालय के स्वप्रस्ताव या किसी भी व्यक्ति के आवेदन पर रद्ध करने का अधिकार है कि यदि आवंटन कपट या दुर्व्यप्रदर्शन के द्वारा प्राप्त किया गया हो या नियम विरुद्ध किया गया हो अथवा आवंटन कि शर्तों का पालन नही किया गया हो। रेस्पोडेन्ट संख्या एक का ना तो आवंटन की दिनांक से आज रोज तक कभी कब्जा रहा है ना ही आंवटन के समय कब्जा था। ऐसे में रेस्पोडेन्ट संख्या एक के नाम किए गए आवंटन आदेश दिनांक 18.04.1974 निरस्त योग्य है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि अपीलांट की अपील स्वीकार कर रेस्पोडेन्ट संख्या एक के पक्ष में किए गए नामान्तरकरण संख्या 2673 दिनांक 12.03.2025 को निरस्त किया जाना फरमावें।

अपील की सुनवाई के दौरान दिनांक 20.06.2025 को रेस्पोडेन्ट संख्या एक की ओर से अधिवक्ता श्री चन्दनसिंह डाबी एवं अधिवक्ता श्री राजेन्द्रपुरी द्वारा अलग–अलग वकालतनामा प्रस्तुत कर उपस्थिति दी गई, परन्तु दिनांक 04.07.2025 को अधिवक्ता श्री राजेन्द्रपुरी द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या एक श्री रामाराम की ओर से प्रस्तुत वकालतनामा को विड्रो किया गया एवं अधिवक्ता श्री चन्दनसिंह डाबी द्वारा बहस में निवेदन किया गया कि विवादित भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या एक को कभी आवंटन

जिला कलेक्टर, सिरोही

.....पेज चार पर

Scanned with CamScanner

नहीं हुई है और ना ही आवंटन के समय रेस्पोडेन्ट संख्या एक का जन्म हुआ था। कोई अन्य व्यक्ति रेस्पोडेन्ट संख्या एक के नाम का पूर्व में रहा होगा, जो अब किवरली अथवा सुरपगला में कोई व्यक्ति नहीं रहता है। यह कि रेस्पोडेन्ट संख्या एक के नाम का दुरूपयोग किया गया है, जबकि रेस्पोडेन्ट संख्या एक का उक्त भूमि पर कोई सरोकार नहीं रहा है और ना ही रेस्पोडेन्ट संख्या एक का कब्जा है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि रेस्पोडेन्ट संख्या एक का विवादित आराजी से कभी कोई सरोकार नहीं रहा है। उक्त तथ्य के आधार पर विधि अनुरूप निर्णय करना फरमावें।

रेस्पोडेन्ट संख्या दो की ओर से बहस में पेरोकार सरकार द्वारा निवेदन किया गया कि जिला कलक्टर महोदय एवं जीएलएमएसी कमेटी के आदेश क्रमांक/भू.अ./जीएलएमएसी /2025/663 दिनांक 21.02.2025 व तहसील कार्यालय देलदर के आदेश क्रमांक/भू.अ./2025 /212 दिनांक 07.03.2025 की पालना में ग्राम किवरली के खसरा संख्या 1434/949 रकबा 2.8957 हैक्टेयर किस्म गै.मु.मगरी श्री रामाराम पुत्र श्री मोतीजी गरासिया निवासी किवरली हाल सुरपगला आबूरोड के नाम गैर खातेदार का नामान्तरकरण संख्या 2673 दिनांक 12.03.2025 को दायर किया जाकर दिनांक 13.03.2025 को स्वीकृत किया गया है। उक्त नामान्तरकरण उपखण्ड अधिकारी महोदय आबूपर्वत के द्वारा आवंटन कमेटी की बैठक में दिनांक 18.04.1974 को श्री रामाराम पुत्र श्री मोतीजी को भूमि आवंटन की जाने की बैठक कार्यवाही विवरण के आधार पर किया गया है। वर्तमान में श्री रामाराम पुत्र श्री मोतीजी नाम का व्यक्ति ग्राम किवरली में निवास नहीं करता है। यह कि खसरा संख्या 949 में से मैसर्स अम्बिका क्रेसिंग कम्पनी को आवंटित होने से शेष भूमि का खसरा संख्या 1434/949 रकबा 2.8957 हैक्टेयर दर्ज हुआ हैं। अतः श्रीमान से निवेदन है कि रेस्पोडेन्ट संख्या दो का जबाव रेकर्ड पर लिया जाना फरमावें।

दोनों पक्षों की सुनी गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का भलीभॉति अध्ययन एवं अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 2673 दिनांक 12.03.2025 की सत्यापित प्रति का भी अवलोकन किया तो निष्कर्ष इस प्रकार है कि गौजा किवरली पटवार मण्डल किवरली, तहसील देलदर जिला सिरोही के खसरा संख्या 1434/949 रकबा 6.09 बीघा किस्म गै.मु.मगरी आराजी आई हुई है। उक्त कृषि आराजी का रेस्पोडेन्ट संख्या एक के पक्ष में दायर नामान्तरकरण संख्या 2673 को तहसीलदार, देलदर द्वारा उपखण्ड अधिकारी आबूपर्वत के आदेश दिनांक 18.04.1974 के द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या एक के हक में आवंटन किए जाने से एवं जिला स्तरीय राजकीय भूमि नामान्तरणकरण परामर्श समिति सिरोही (जीएलएमएसी कमेटी) की सिफारिश पर दिनांक 12.03.2025 को स्वीकृत किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह पाया जाता है कि मौजा किवरली की उक्त विवादित भूमि का आवंटन उपखण्ड अधिकारी आबूपर्वत द्वारा दिनांक 18.04.1974 को श्री रामाराम पुत्र श्री मोतीजी गरासिया निवासी किवरली के हक में किया गया था, जिसका नामान्तरकरण रेस्पोडेन्ट संख्या एक के हक में दर्ज करवाने हेतु तहसीलदार देलदर द्वारा जरिए पत्र क्रमांक/राजस्व/2024/464 दिनांक 23.09.2024 के द्वारा जिला स्तरीय राजकीय भूमि नामान्तरणकरण परामर्श समिति सिरोही (जीएलएमएसी कमेटी) को कार्यवाही हेतु लिखा गया। जिला स्तरीय राजकीय भूमि नामान्तरकरण परामर्श समिति सिरोही (जीएलएमएसी कमेटी) की सिफारिश पर मौजा किवरली के उक्त विवादित खसरा संख्या 949 में से आवंटित 6.09 बीघा भूमि

जिला कलेक्टर, सिरोही

.....पेज पांच पर

Scanned with CamScanner

का नामान्तरकरण तहसीलदार देलदर द्वारा दिनांक 12.03.2025 को दायर किया जाकर दिनांक 13.03.2025 को स्वीकृत किया गया है। चूंकि मौजा किवरली के विवादित खसरा संख्या खसरा संख्या 949 में से आवंटित 6.09 बीघा भूमि का उपखण्ड अधिकारी आबूपर्वत के आदेश दिनांक 18.04.1974 के द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या एक के हक में आवंटन किए जाने के आधार पर ही उक्त विवादित नामान्तरकरण संख्या 2673 की सारस्त कार्यवाही की गई है, जबकि उपखण्ड अधिकारी आबूपर्वत द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या एक के हक में किए गए आवंटन आदेश दिनांक 18.04.1984 को इस न्यायालय द्वारा राजस्व निगरानी संख्या 01/2025 अनवान जुआरिंग व अन्य बनाम रामाराम व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 17.09.2025 के द्वारा निरस्त कर दिया गया है। अतः उपखण्ड अधिकारी आबूपर्वत के द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या एक के हक में किए गए आवंटन आदेश दिनांक 18.04.1974 को निरस्त किए जाने से तहसीलदार देलदर द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 2673 दिनांक 12.03.2025 परिपोषणीय प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के अवलोकन से अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर तहसीलदार देलदर द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 2673 दिनांक 12.03.2025 को निरस्त किया जाता है।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया ।

(अल्पा चौधरी)
जिला कलक्टर, सिरोही

न्यायालय जिला कलक्टर सिरोही (राज०)

Scanned with CamScanner